A decision has been taken by the Government to amend the Drugs (Prices Control) Order, 1970, to provide that the retailers shall charge only the price printed on the labels.

The State Drug Controllers watch the operation of the Drugs (Prices Control) Order, 1970.

Transfer of Railway employees who participated in May, 1974 strike

2175 SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state.

(a) whether Railway employees who participated in May, 1974 strike are being transferred without any valid reasons;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether instructions have since been issued to stop this victimization?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). No railway employee has been transferred or victimised for mere participation in the illegal strike in May 1974. Some railway employees have however been transferred in the administrative interest. On subsequent review a number of these transfers have been cancelled.

(c) Question does not arise.

बिहार में रेलवे के विकास के बारे में भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा व्यक्त विचार

2177. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर में समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर ब्राड गेज लाइन का उद्घाटन करते समय भूतपूर्व रेल मंत्री, स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र ने बिहार में रेलवे के विकास के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त किये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपने भाषण में उन्होंने बिहार में अनुमोदित चालू रेलवे परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित सर्वेक्षणों का उल्लेख किया था। निर्माणाधीन अनुमोदित परियोजनाओं का काम उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत अभी बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गई है। विभिन्न सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में विनिश्चय तब किया जायेगा जब ये पूरे हो जायेंगे और सभी दृष्टि से सर्वेक्षण-रिपोर्ट की जांच कर ली जायेगी।

जमशेदपुर तथा पटना के बीच एक तेज गाड़ी के लिए मांग

2178. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना, जमशेदपुर तथा अन्य स्थानों के लोग लम्बे समय से जमशेदपुर तथा पटना के बीच दिन के समय तक तेज गाड़ी चलाने की मांग करते आ रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने यात्रियों की सुविधा तथा रेलवे की आय का ध्यान में रखते हुए दिन के समय पटना तथा जमशेदपुर के बीच एक गाड़ी चलाने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उक्त निर्णय को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) टाटानगर और पटना के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना, यातायात सम्बन्धी औचित्य के प्रश्न से भिन्न टाटानगर और पटना में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव तथा पूर्व रेलवे के ग्राण्ड कार्ड खण्ड पर खाड़ीय क्षमता के अभाव के कारण, इस समय परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

संथाल परगना (बिहार) के मिहिजाम क्षेत्र में तस्करी

2179. **श्री रामावतार शास्त्री** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संथाल परगना (बिहार) का मिहिजाम क्षेत्र तस्करों का अड्डा है ;

(ख) क्या रेलवे के गुप्तचर विभाग ने 15 अगस्त, 1973 को तथा उसके बाद मिहिजाम के तस्करों एवं वैगन तोड़ने वालों के घरों पर छापा मारकर चित्तरंजन रेलवे कारखाना तथा वैगनों से चुराये गये लाखों रुपये का माल बरामद किया था ,

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य में मदद करने के कारण मिहिजाम के सामाजिक कार्यकर्ता प्रो० सुरजीत सिंह की 1 फरवरी, 1974 को बम मारकर हत्या करने की कोशिश की गई थी जब कि इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को पहले से थी और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) ऐसी कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय के नोटिस में नहीं आयी है।

(ख) जी हां, 15-8-1973 को, केन्द्रीय अपराध ब्यूरो रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) तथा बिहार राज्य के सी० आई० डी० के अधिकारियों के एक दल ने छापा मारने की योजना बनायी और मिहिजाम में चुराई गई रेल सम्पत्ति को लेने वालों के घरों गोदामों की तलाशी ली और एक लाख रुपये की कीमत का अलौह सामान बरामद किया जोकि सम्भवत चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने से चुराया गया था।

(ग) श्री सुरजीत सिंह, जिन्होंने छापा-मार दल की सहायता की थी, ने तत्कालीन रेल मंत्री से शिकायत की थी कि 1-2-74 को उस पर बम से हमला किया गया और वह उसके परिणामस्वरूप गम्भीर रूप से घायल हो गया।

(घ) बिहार सरकार से श्री सुरजीत-सिंह को पूर्ण सुरक्षा करने के लिये अनुरोध किया गया था और तदनुसार उसमें सुरक्षा-प्रबन्ध किया।

मिहीजाम की सिविल पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 भारतीय दंड